UPAG010042142022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 1, आगरा
सत्र परीक्षण संख्या–555/2022

राज्य	बनाम	आकाश गोयल आदि धारा 306 भा0द0सं0 अपराध सं0 41/2021 थाना लोहामण्डी, आगरा।

दिनांक 05.02.2025

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुयी। अभियोजन पक्ष/वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 61ख अन्तर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 पर पूर्व नियत दिनांक को सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन पक्ष/वादिया मुकदमा की ओर से प्रार्थनापत्र 61ख अन्तर्गत धारा 311 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त केस में मृतक राहुल अग्रवाल द्वारा मरने से पूर्व अपने मोबाइल में घटना से सम्बन्धित जरूरी सभी वीडियो बनायी थी। विवेचक ने इस सम्बन्ध में केस डायरी में यह अंकन किया है कि कम्प्यूटर आपरेटर धर्मेन्द्र कुमार को तलब किया गया। धर्मेन्द्र द्वारा मौके पर मोबाइल से जरूरी सभी वीडियो जो मृतक राहुल द्वारा मरने से पहले बनायी गयी थी, मोबाइल से सरकारी लैपटॉप में लेकर विवेचक द्वारा अवलोकन कर डी.वी.डी. में वास्ते विवेचना उपनिरीक्षक को दी गयी। वादिया ने पी–डब्ल्यू 1 के रूप में अपने बयान में पति राहुल द्वारा दिये गये बयानों के सम्बन्ध में बताया है। उक्त डी.वी.डी. न्यायालय में सफाई साक्ष्य में अभियुक्त आकाश गोयल के बयान के सन्दर्भ में खोला गया तो वह डी.वी.डी. कार्य नहीं कर रही थी। वादिया मृतक राहुल अग्रवाल की पत्नी है और उसके पास अपने पति का मोबाइल नम्बर 9258882434 है और ये मोबाइल सेमसंग ग्लैक्सी ए 71 का है। यह मोबाइल मरने से पहले मृतक राहुल अग्रवाल ही उपयोग करते थे। असल मोबाइल जिसमें राहुल अग्रवाल की रिकार्डिंग व डेटा है, को अदालत में प्रस्तुत कर रही है और उसकी वीडियो रिकार्डिंग व डेटा को उपरोक्त मोबाइल से लेकर पेनड्राइव में भी संग्रहित किया है जो दाखिल की है। विवेचक द्वारा डी.वी.डी. में वीडियो रिकार्डिंग संग्रहित की गयी थी, जो न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित नहीं हो रही है। वादिया अपने पति का असल मोबाइल, जिसमें आज भी घटना की रिकार्डिंग मौजूद है व उससे ली गयी वीडियो रिकार्डिंग की पेनड्राइव को न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। उक्त को रिकार्ड में लेने व मिताली अग्रवाल को धारा 311 द0प्र0सं0 में पुनः बयान अंकित कराने हेतु तलब किये जाने की याचना की गयी। साथ ही धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र 62ग भी प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तगण की ओर से 63ग जबाव प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि सत्र परीक्षण में अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त हो चुका है, बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है। पत्रावली में सफाई साक्षी/सौरभ गोयल से

अभियोजन पक्ष की जिरह जारी है। अभियोजन पक्ष की ओर से सत्र परीक्षण के निस्तारण में विलम्ब किया जा रहा है। मात्र विलम्ब कारित करने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र धारा 311 द0प्र0सं0 वादिया मुकदमा श्रीमती मिताली अग्रवाल को पुनः बयान अंकित कराने के प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है। वादिया मुकदमा के बयान न्यायालय के समक्ष अभिलिखित किये जा चुके हैं। उसे बयान अंकित किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। द.प्र0सं0 की धारा 311 का उद्देश्य साक्ष्य प्रस्तुत करने में गलती या गवाहों के बयान में अस्पष्टता के कारण न्याय से समझौता नहीं है। विवेचक द्वारा संकलित डी.वी.डी. वस्तु प्रदर्श –2 सफाई साक्षी आकाश गोयल के सन्दर्भ में खोला गया था तो उक्त डी.वी.डी. न्यायालय के समक्ष नहीं चल सकी, क्योंकि उक्त डी.वी.डी. में कुछ भी राइट ही नहीं किया गया, उक्त डी.वी.डी. एक ब्लैंक डी.वी.डी. है। उक्त डी.वी.डी. के न्यायालय में न चल सकने का कारण कोई तकनीकी त्रुटि थी, जिसका समाधान मात्र उक्त डी.वी.डी. को विधि विज्ञान प्रयोगशाला के द्वारा फोरंसिक जाँच के द्वारा ही किया जा सकता है। वादिनी के द्वारा जानबूझकर धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का झूँठा सर्टिफिकेट दिया गया है। उपरोक्त के आधार पर वादिनी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 311 द0प्र0सं0 को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

धारा 311 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि– आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति– कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।

सुनवायी के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि कथित घटना का वीडियो मृतक के मोबाइल में रिकार्ड है, उक्त मोबाइल मृतक की पत्नी वादिनी मुकदमा के कब्जे में है, जिसे वह न्यायालय में दाखिल कर रही है। मृतक के मोबाइल वीडियो रिकार्ड व डेटा से उसने एक पेनड्राइव संग्रहित की, उसे भी न्यायालय में प्रस्तुत कर रही है। उक्त इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के बावत वह पुनः बयान न्यायालय में देना चाहती है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर उक्त इलैक्ट्रोनिक अभिलेख दाखिल करने, वादिनी मुकदमा पी–डब्ल्यू 1 को पुनः बयान के लिए तलब करने हेतु याचना की गयी है।

आपत्ति में बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य समाप्त हो चुका है। बचाव पक्ष के बयान अन्तर्गत धारा 313 द0प्र0सं0 भी अभिलिखित किये जा चुके हैं, सफाई में पत्रावली चल रही है। अभियोजन पक्ष की

ओर से उक्त प्रार्थनापत्र विलम्ब करने के आशय से दिया गया है। वादिनी मुकदमा श्रीमती मिताली अग्रवाल का पहले बयान हो चुका है। उसे पुनः तलब करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 311 द0प्र0सं0 के प्रावधान का उद्देश्य अभियोजन साक्ष्य की अस्पष्टता को, स्पष्ट करने तथा उसकी कमियों को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 311 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अन्य प्रावधानों के साथ साथ यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन गवाहों की परीक्षा पहले हो चुकी है, उन्हें पुनः बुलाया जा सकता है, उचित न्याय निर्णयन के लिए न्यायालय को उक्त शक्ति प्रदान की गयी। अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त प्रार्थनापत्र के अनुसार घटना के समय मृतक के कब्जे में उसका जो मोबाइल था, उसमें घटना की रिकार्डिंग उसने की है, वहीं रिकार्डिंग अभियोजन पक्ष दाखिल करना रहा है व उन्हीं तथ्यों के बावत वादिनी मुकदमा न्यायालय में अपना बयान देना चाहती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण को गुण–दोष के आधार पर निस्तारण के लिए प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 61ख अन्तर्गत धारा 311 दं0प्र0सं0 स्वीकार किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित इलैक्ट्रोनिक अभिलेख पत्रावली पर दाखिल करें व पी–डब्ल्यू 1 वादिनी मुकदमा श्रीमती मिताली अग्रवाल को पुनः साक्ष्य हेतु नियत दिनांक को पेश करना सुनिश्चित करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 15.02.2025 को पेश हो।

ह0

दिनांक 05.02.2025

अपर सत्र न्यायाधीश, न्याया0 सं01,
आगरा।